

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम की में जारी हु</p>
<p>20/7/16</p>	<p>पत्रावली पेश / वकील पञ्जकरण उप / वास्ते जवाब सरकार दिनांक 31.8.16 को पेश हो।</p> <p>31/8/16 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी शुन कार्य में व्यर्थ है। पत्रावली दिनांक 28/10/16 को पेश</p>	
<p>26.10.16</p>	<p>पत्रावली पेश / वकील पञ्जकरण उप / वास्ते जवाब सरकार दिनांक 23.11.16 को पेश हो।</p>	
<p>23.11.16</p>	<p>पत्रावली पेश / वकील उमप पञ्जकरण उप / वास्ते जवाब सरकार दिनांक 28.1.17 को पेश हो।</p>	
<p>22/1/17</p>	<p>पत्रावली पेश / वास्ते जवाब सरकार दिनांक 8/2/2017 को पत्रावली पेश हो।</p>	
<p>8/2/17-</p>	<p>पत्रावली पेश / वास्ते पेश करने जवाब सरकार पत्रावली दिनांक 22/02/2017 को पेश हो।</p>	
<p>22/2/17-</p>	<p>पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी ने प्रकरण से सबब अन्तर्गत प्रांप्त 30/2015 धारा 912 P.T. Act का निर्णय दिनांक 20/07/2016 को हो जाने से इस प्रांप्त को मूल वाद के साथ फंसला कर मूल</p>	


मूल प्रारथन धारा
312 R.T. Act में है।
30/2015 से 20/7/16
को निर्णय हो जाने से
इस प्रांप्त को मूल
प्रकरण का पत्रावली
22-2-17

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वाद के साथ सलमंत करने का
अकन ऑदेशिका पर किया है।
अतः प्रांपन में कार्यवाही
इसी स्तर पर शेष की जाती है।
प्रांपन स्वारीज किया जाकर
बाद तकमील फैसल शुमार
किया जाकर नम्बर से कम
होकर मूल वाद के साथ सलमंत
है।


सिपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बुन्दी)